सितंबर और अक्टूबर 2020 माह के दौरान जो भारतीय समुद्र तटीय रेत खनिज (बीएसएम) के उत्पादक / विक्रेता डीजीएफटी की दिनांक 21.8.2018 अधिसूचना सं. 26/2015-2020 के अंतर्गत आईआरआईएल (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से कॅनलाईज्ड बीएसएम का निर्यात करना चाहते है उनके लिए सूचना

विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्यात और आयात की वस्तुएं 2018 के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के खंड 26 में समुद्र तट रेत खनिज (बीएसएम) की निर्यात नीति पर दिनांक: 21.8.2018 की अधिसूचना संख्या: 26 / 2015-2020, नई दिल्ली जारी की है ।

समुद्र तट रेत खनिजों का निर्यात - इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्सिन (एचएसएन 2614 0010, 2614 0020, 2614 0031, 2614 0039, 2614 0090 के तहत टाइटेनियम धारक खनिज), ज़िरकॉन (एचएसएन 2615), मोनाज़ाइट (एचएसएन 2612 1000, 2612 2000 के तहत), सिल्मेनाईट (एचएसएन 2508 5031, 2508 5032, 25085039 के तहत) और गार्नेट (एचएसएन 2513 2030), को उपरोक्त अधिसूचना के तहत स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के अधीन लाया गया है और इसे भारत सरकार का उपक्रम, मेसर्स आईआरईएल इंडिया लिमिटेड (IREL) के माध्यम से कैनलाईज किया जाएगा। निर्यात नीति में कहीं भी अनुमत किए गए बीएसएम(BSM) को अब निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 26 के अनु.क्रमांक 98 ए के तहत नीति के संदर्भ में विनियमित किया जाएगा।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार आईआरईएल के माध्यम से कॅनलाईज्ड बीएसएम के निर्यात के लिए इच्छुक भारतीय समुद्र तटीय रेत खनिज के उत्पादक / विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे आईआरएल को सितंबर और अक्टूबर 2020 के महीने के लिए निम्नलिखित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करें :

क्रम संख्या Sr No.	उत्पाद का नाम /Name of the product	विशेष विवरण Specification	मे.टन में मात्रा Quantity in MT
1			
2			

उपरोक्त जानकारी 15 जुलाई 2020 तक इस वचनपत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए कि वे विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य मंत्रालय, सरकार द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II, खंड -3, उप - धारा (ii) में प्रकाशित दिनांक 21.8.2018 की अधिसूचना संख्या 26 / 2015-2020 के अनुसार समुद्र तट खनिज (बीएसएम) की निर्यात नीति की एसओपी में उल्लिखित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त जानकारी इस मेल पर भेजी जाए canalising.bsm@irel.co.in